तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	

22/2/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता का सही हिस्सा 1/2 है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवन से हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुराना राजस्व रिकार्ड पेश किया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट जरिये पत्रांक 4960 दिनांक 22.12.2020 अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 अंक़ित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही हिस्सा 1/2 है कि पुष्टि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 4960 दिनांक 22.12.2020 से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बिहार स्थित भूमि खाता संख्या 36 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में <u>ग्यारसा पुत्र पोखर का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 1/2 तथा शेष खातेदारान का हिस्सा 1/[illegible] स्थान पर 1/8</u> दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर [illegible]
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:00 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना